भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राज्य वित्त से संबंधित प्रतिवेदन

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष

झारखण्ड सरकार

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	-	vii
कार्यकारी सारांश	-	ix

अध्याय 1: राज्य सरकार के वित्त		
झारखण्ड की रूपरेखा		1
परिचय	1.1	2
वर्ष 2013-14 के राजकोषीय संचालन का सारांश	1.1.1	2
राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.1.2	4
बजट आकलन के साथ वास्तविक	1.1.3	6
लिंगानुपातिक (जेण्डर) बजट	1.1.4	7
राज्य के संसाधन	1.2	8
वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन	1.2.1	8
राज्य बजट के बाहर राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को हस्तांतरित निधि	1.2.2	11
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	12
राज्य के स्वयं के संसाधन	1.3.1	15
भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान	1.3.2	18
केन्द्रीय कर हस्तांतरण	1.3.3	19
तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग	1.3.4	19
त्यक्त राजस्व	1.3.5	20
पूँजीगत प्राप्तियाँ	1.4	20
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	1.4.1	21
आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ	1.4.2	22
भारत सरकार (भा.स.) से ऋण तथा अग्रिम	1.4.3	22
लोक लेखा प्राप्तियाँ	1.5	22
संसाधनों के अनुप्रयोग	1.6	23
व्यय के संघटक एवं वृद्धि	1.6.1	23
राजस्व व्यय (आर.ई.)	1.6.2	24
प्रतिबद्ध व्यय	1.6.3	26
वृहत कार्यक्रम	1.6.4	29
स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता	1.6.5	30
स्थानीय शहरी निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों की कार्य प्रणाली और निधियों का हस्तांतरण	1.6.6	30
व्यय की गुणवत्ता	1.7	33
लोक व्यय की पर्याप्तता	1.7.1	34
व्यय के इस्तेमाल की दक्षता	1.7.2	35
सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण	1.8	38
पूर्ण सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	1.8.1	38

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
अपूर्ण परियोजनाएँ	1.8.2	38
निवेश एवं वापसी	1.8.3	39
राज्य सरकार द्वारा दिया गया ऋण एवं अग्रिम	1.8.4	40
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश	1.8.5	41
परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व	1.9	41
परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की वृद्धि एवं संयोजन	1.9.1	41
राजकोषीय दायित्व	1.9.2	42
ऋणों एवं अग्रिमों के वापसी का संदेहास्पद होने के कारण राज्य की परिसम्पत्तियों की अत्योक्ति	1.9.3	44
संरक्षित निधि के अन्तर्गत लेन-देन	1.9.4	44
प्रत्याभूति की स्थिति-आकस्मिक दायित्व	1.9.5	45
ऋण प्रबंधन	1.10	45
ऋण की रूप रेखा	1.10.1	45
ऋण धारणीयता	1.10.2	46
राजकोषीय असंतुलन	1.11	47
घाटे की प्रवृत्तियाँ	1.11.1	48
वित्तीय घाटे के अवयव एवं इसकी वित्तीय पोषण का स्वरूप	1.11.2	49
घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता	1.11.3	50
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ	1.12	51
अध्याय 2: वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
परिचय	2.1	53
बजट प्रबंधन हेतु प्रक्रिया	2.2	53
विनियोग लेखे के सारांश	2.3	54
वित्तीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.4	55
आवंटित प्राथमिकताओं के सापेक्ष विनियोग	2.4.1	55
सतत् बचत	2.4.2	56
आकस्मिक निधि से अग्रिम	2.4.3	60
वर्ष 2013-14 के दौरान प्रावधान से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता	2.4.4	61
विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता	2.4.5	61
परिहार्य/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान	2.4.6	62
निधियों का अत्यधिक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	2.4.7	62
प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण नहीं करना	2.4.8	63
व्यय का वेग	2.5	63
विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन	2.6	63
अनुदान संख्या 20 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में बजटीय नियंत्रण का अभाव	2.7	64

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
निर्धारित अनुसूची का अनुसरण नहीं किया जाना	2.7.1	64
बढ़ा हुआ बजट आकलन	2.7.2	65
अविवेकपूर्ण अनुपूरक प्रावधान	2.7.3	66
निधियों का विलम्ब से विमुक्त किया जाना	2.7.4	67
व्यय का वेग	2.7.5	67
विभागीय व्यय के आँकडों का असमाशोधन	2.7.6	68
निधि आहरित कर बैंक खाते तथा व्यक्तिगत बही खाते में रखना	2.7.7	68
विस्तृत आकस्मिक विपत्र का अप्रस्तुतीकरण	2.7.8	69
निधि का अनियमित आहरण	2.7.9	69
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ	2.8	70
अध्याय 3: वित्तीय प्रतिवेदन		
अनुदानों के विरूद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र का अनुपालन लेखापरीक्षा	3.1	73
परिचय	3.1.1	73
पंचायती राज एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (विशेष प्रमंडल) विभाग और शहरी विकास विभाग में बकाये उ.प्र.प. की स्थिति	3.1.2	74
अनुदानों को निर्गत करने में विलम्ब	3.1.3	75
अनुदान का अनुचित संवितरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र का त्रुटिपूर्ण प्रस्तुतीकरण	3.1.4	76
अनुदान का अवरूद्धिकरण एवं अनुपयोग	3.1.5	77
कल्याण विभाग द्वारा संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित निधियों की अनुपालन लेखापरीक्षा	3.2	81
परिचय	3.2.1	81
संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के आहरण की प्रवृति	3.2.2	82
विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के जमा करने में विलम्ब	3.2.3	84
संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों से योजना निधि का आहरण	3.2.4	85
वित्तीय वर्ष के अन्त में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों का आहरण	3.2.5	86
संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों से बार-बार निधियों का आहरण	3.2.6	87
संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित निधियों को बैंक खाते में रखना	3.2.7	88
लेखापरीक्षा के प्रति प्रतिक्रिया का अभाव	3.2.8	89
स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों एवं अनुदानग्राही संस्थानों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण एवं लेखापरीक्षा	3.3	89
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा	3.3.1	89
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अधीन लेखापरीक्षा	3.3.2	90
दुर्विनियोग/गबन, क्षति इत्यादि के मामलों का प्रतिवेदन	3.4	91
निधि आहरित कर व्यक्तिगत बही (पी.एल.) खाते में रखना	3.5	91
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ	3.6	92

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 1.1 भाग-ए	झारखण्ड का परिचय	97
परिशिष्ट 1.1 भाग-बी	सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा	98
परिशिष्ट 1.1 भाग-सी	वित्त लेखे का अभिन्यास	98
परिशिष्ट 1.2	राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत कार्य प्रणाली	99
परिशिष्ट 1.3	राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़ें	100
परिशिष्ट 1.4 भाग-ए	वर्ष 2013-14 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	103
परिशिष्ट 1.4 भाग-बी	31 मार्च 2014 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	106
परिशिष्ट 1.5	तेरहवें वित्त आयोग के सिफारिशों पर आवंटित अनुदान के योजनावार ब्यौरे	108
परिशिष्ट 1.6 भाग-ए	74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (अनुसूची XII) के अनुसार स्थानीय नगर निकायों के कार्यों का विवरण	113
परिशिष्ट 1.6 भाग-बी	74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (अनुसूची XII) के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों का विवरण	114
परिशिष्ट 2.1	₹ 10 करोड़ अधिक्य की बचत और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक अनुदानों/विनियोग की विवरणी	115
परिशिष्ट 2.2	वर्ष 2013-14 के दौरान होने वाले क्रमानुगत बचत (₹20 करोड़ एवं अधिक) का उप-शीर्षवार विवरण	117
परिशिष्ट 2.3	पिछले वर्ष के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित	122
परिशिष्ट 2.4	मामले जहाँ अनुपूरक अनुदान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए	124
परिशिष्ट 2.5	निधि का आधिक्य/अपर्याप्त पुनर्विनियोग	126
परिशिष्ट 2.6	₹ एक करोड़ एवं उससे ज्यादा की बचत, जो अभ्यर्पित नहीं की गई, की विवरणी	127
परिशिष्ट 2.7	30 और 31 मार्च 2014 को ₹ पाँच करोड़ से अधिक अभ्यर्पित की गई राशि	130
परिशिष्ट2.8	वर्ष के अंत में व्यय का वेग	131
परिशिष्ट 2.9	नियंत्रक अधिकारियों की सूची जहाँ व्यय वर्ष 2013-14 के दौरान असमाशोधित रह गई	132
परिशिष्ट 2.10	बढ़ा हुआ बजट आकलन	134
परिशिष्ट 2.11	सतत् बचत	136
परिशिष्ट 2.12	रिक्त पदों के लिये परिहार्य बजट प्रावधान	136
परिशिष्ट 2.13	अविवेकपूर्ण अनुपूरक प्रावधान	137

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 2.14	व्यय का वेग (राज्य स्तरीय)	138
परिशिष्ट 2.15	व्यय का वेग (क्षेत्रीय इकाईयों)	139
परिशिष्ट 2.16	विभागीय व्यय के आँकड़ों का असमाशोधन	140
परिशिष्ट 2.17	डी.सी. विपत्र के अप्रस्तुतीकरण का सारांश	141
परिशिष्ट 3.1	31 मार्च 2014 तक वर्ष 2006-2013 के दौरान वितरित किये गये सहायता अनुदान से संबंधित बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र के ब्यौरे	143
परिशिष्ट 3.2	कल्याण विभाग में बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्र	145
परिशिष्ट 3.3	नि.म.ले.प. (डी.पी.सी.) अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची	146
परिशिष्ट 4.1	प्रतिवेदन में प्रयुक्त व्याख्यान शब्दावलियों (गणना के आधार) की सूची	149